

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13 1977/चैत्र 23 1899

No. 119]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 1977/CHAITRA 23 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th April 1977

G.S.R. 180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 28/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely:—

In the Table annexed to the said notification, against Serial No. 1, in column (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that polyester fibre falling under this Item shall be exempted from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 36 per kilogram where such polyester fibre is produced in a factory whose production of polyester fibre during the preceding financial year did not exceed 12,000 tonnes”

[No 61/77-CE]

R K CHANDRA, Under Secy

राजस्व और वैद्यक विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 180 (अ०).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 28 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में, क्रम संख्या 1 के सामने द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् —

“परन्तु यह और कि इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित पालिएस्टर रेशे पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना 36 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो, तब छूट दी जाएगी जब ऐसे पालिएस्टर रेशे का उत्पादन ऐसे कारखाने में किया जाता है जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पालिएस्टर रेशे का उत्पादन बारह हजार टन से अधिक न हो।” ।

[सं० 61/77 सी० ई]

भार० के० चन्द्र, भवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977